षष्ठम् माला, खंड 5, अंक 31, शनिवार, 16 जुलाई, 1977/25 आषाढ़, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. V, No. 31, Saturday, July 16, 1977/ Asadha 25, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. V contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
F. migated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए

Price : Four Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 31, शनिवार, 16 जुलाई, 1977/25 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 31, Saturday, July 16, 1977/Asadha 25, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1-2
विशेषाधिकार के प्रश्न—	Questions of Privilege—	
(एक) गृह मंत्री द्वारा 13 जुलाई, 1977 को सभा में की गई विचाराभिव्यक्ति के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रेस वक्तव्य	(i) Smt. Indira Gandhi's Press Statement re. certain observations by the Minister of Home Affairs on 13-7-77 . .	2-3
(दो) बेलची गांव दुर्घटना के बारे में गृह मंत्री द्वारा 13 जून, 1977 को सभा में कथित भ्रामक जानकारी देना	(ii) Alleged misleading information re. Belchi incident given by the Minister of Home Affairs on 13-7-1977 . .	3
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under rule 377—	3
तट-दूर ड्रिलिंग के लिए ठेका दिये जाने के बारे में श्री संजय गांधी की भूमिका का कथित समाचार	News item about Shri Sanjay Gandhi role in regard of contract for off shore Drilling.	3
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	3-6
नई दिल्ली के रामेश्वरी नगर क्षेत्र में विषैली शराब पीने के कारण 30 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार	Reported death of 30 persons in Rameshwari Nagar, Delhi as a result of consuming spurious liquor . .	3-6
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi . . .	3-4, 5
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	4-5, 6
चौ० बलबीर सिंह	Chowdhury Balbir Singh . . .	5
श्री किशोर लाल	Shri Kishore Lal	5
श्री मही लाल	Shri Mahi Lal	6

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--	Committee on Subordinate Legislation .	6
पहला प्रतिवेदन	First Report	6
सभा का कार्य	Business of the House	6-7
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977—	Finance (No. 2) Bill, 1977—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	7-29
श्री जनार्दन पुजारी	Shri Janardhan Poojary . . .	8-9
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash . . .	9-10
श्री आर० एन० राकेश	Shri R. N. Rakesh	10
श्री दोणमराजू सत्यनारायण	Shri Dronamaraju Satyanarayana .	10-11
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan	11-12
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	Shri Arjun Singh Bhadoria . .	12-13
श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी	Shri Narendra P. Nathwani . .	13-14
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .	15-16
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah . . .	16-17
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G. M. Banatwala . . .	17-18
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . .	19-21
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	Shri Rajendra Kumar Sharma .	21
श्री राम अवधेश सिंह	Shri Ram Awadhesh Singh . .	21-22
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	22-23
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	23-26
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	26-27
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	27-28
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan. . .	29

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार, 16 जुलाई, 1977/25 आषाढ़, 1899 (शक)

Saturday, July 16, 1977/Asadha 25, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त, राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 216/77-सी०ई० से 218/77—सी०ई० 223/77—सी०ई० 226/77—सी०ई० 227/77—सी०ई० 233/77—सी०ई० 235/77—सी०ई० 237/77—सी० ई० से 242/77—सी० ई० और 246/77—सी० ई० (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रथालय में रखा गया । **देखिए संख्या** एल० टी० 722/77]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 232/77—सी०ई० में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम 1977, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 234/77--सी० ई० में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 723/77]

(3) अधिसूचना संख्या 215/77--सी० ई० से 246/77--सी०ई० और 249/77--सी०ई०, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 724/77]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 152/77--कस्टम्स (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 725/77]

(5) अधिसूचना संख्या 148/77--कस्टम्स से 155/77--कस्टम्स, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी सस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 726/77]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 156/77--कस्टम्स और 157/77--कस्टम्स, जो दिनांक 16 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचना संख्या 158/77--कस्टम्स, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) अधिसूचना संख्या 159--77 कस्टम्स, जो दिनांक 15-7-1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 727/77]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

(एक) गृह मंत्री द्वारा 13 जुलाई, 1977 को सभा में की गई विचाराभिव्यक्ति के बारे में इन्दिरा गांधी का प्रेस वक्तव्य

श्री गौरीशंकर राय (गाजीपुर) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, एक वक्तव्य में, जो आज के समाचार पत्रों में छपा है, गृह मंत्री द्वारा सदन में दिये गये एक भाषण पर अत्यंत आपत्ति-

जनक टिप्पणी की है और सदन का अपमान किया है । यह पूरी तरह से विशेषाधिकारों का हनन अपना और सदन का अपमान है क्योंकि एक सदस्य का अपमान सदन का अपमान है ;

अब . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी सूचना अभी-अभी मिली है और इसका अध्ययन करने के बाद मैं अपना निर्णय दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय : : मैं आपके निर्णय देने से पहले अपनी बात कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय सोमवार को दूंगा ।

(दो) बेलची गांव दुर्घटना के बारे में गृह मंत्री द्वारा 13 जून, 1977 को सभा में कथित भ्रामक जानकारी देना

श्री बी० रचैया (चामराजनगर) : मैंने भी गृह मंत्री के विरुद्ध 13 जून, 1977 को बेलची गाँव की घटना के बारे में गलत ब्यानी करने के लिए एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। अनुसूचित जाति के सदस्यों की एक संसदीय समिति ने मौके पर जाकर उसका अध्ययन किया है । गृह मंत्री का वक्तव्य गुमराह करने वाला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय पर श्री चन्द्रप्पन, श्रीमती पार्वती कृष्णन, श्री के० ए० राजन, श्री बी० रचैया तथा श्री बी० पी० कदम की ओर से विशेषाधिकार के प्रश्न पर तीन सूचनायें मिली हैं । सदन की प्रक्रिया के अनुसार मैंने उनकी प्रतियां उनकी टिप्पणियों के लिए गृह मंत्री को भेज दी हैं । उनका उत्तर आने पर मैं अपना निर्णय दूंगा ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

तट-दूर ड्रिलिंग के लिये ठेका दिये जाने के बारे में श्री संजय गांधी की भूमिका का कथित समाचार

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मैं सभा की जानकारी के लिए सभा का ध्यान श्री संजय गांधी द्वारा किये गये भ्रष्ट कार्यों सम्बन्धी जुलाई, 1977 के न्यूजवीक के उस अंक की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें श्री गांधी द्वारा फ्रांस की एक कम्पनी के साथ ठेके का उल्लेख किया गया है (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी: यदि गृह मंत्री वक्तव्य देना चाहें तो उन्हें देने दिया जाये (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न काल न बनायें । अब हम अगले विषय को लेते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

I NG ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नई दिल्ली के रामेश्वरी नगर क्षेत्र में विषैली शराब पीने के कारण 30 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :—

[Shri Om Prakash Tyagi]

"Reported deaths of 30 persons and Serious condition of 14 others as a result of cansuming spurious liquor in Rameshwari, Nagar area in Karol Bagh, New Delhi and alleged failure of Police to prevent the Sale of such liquor and of hospital authorities to treat the vicitim's in time"

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): मैंने 14-7-77 को सदन में दिल्ली में जहरीली शराब पीने के कारण हुई कुछ मौतों के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। तब से इस विषय के बारे में सरकार को कुछ और समाचार प्राप्त हुये हैं। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर अब 21 हो गई है : इन मौतों में 17 मौतें अस्पतालों में हुई हैं—15 विलिंग्डन अस्पताल में, और 1 हिन्दुराव अस्पताल में तथा 1 गंगाराम अस्पताल में। 45 व्यक्ति जहरीली शराब से अब तक प्रभावित हुए बताये जाते हैं।

शराब की दुखद घटना के संबंध में 33 मामलें दर्ज किये गये हैं, 15 मामलें भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के अधीन तथा 18 मामलें भारतीय दंड संहिता की धारा 338, 336 के अधीन। जिस इलाके में घटनायें हुई उसके 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामलों की जांच पड़ताल का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। प्रभावित क्षेत्र में करौल बाग के थाना अध्यक्ष, पी० पी० टैंक रोड के प्रभारी उप-निरीक्षक और बीट ड्यूटी पर 4 कांस्टेबलों को मुअत्तिल कर दिया गया है। एक उप-निरीक्षक, एक सहायक उप-निरीक्षक और 10 कांस्टेबलों का पी० पी० टैंक रोड से तबादला कर दिया गया है। दिल्ली के जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश पर एक अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है और कुछ गवाहों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं। अवैध शराब बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है और उक्त 18 व्यक्तियों के अतिरिक्त अब तक 159 गिरफ्तारियां की जा चुकी है।

अब तक प्राप्त शव परीक्षा की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मृत्यु संदिग्ध जहर के कारण हुई है। परन्तु मृत्यु का निश्चित कारण मृतक की अंतरंग की रसायनिक परीक्षा की रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद मालूम होगा।

पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल और आबकारी विभाग की रिपोर्ट से मालूम होता है कि शराब, जिसके कारण इतने व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई अवैध स्रोतों से प्राप्त हुई थी न कि दिल्ली प्रशासन की किसी लाइसेंस शुदा शराब की दुकान से।

संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध, उनके क्षेत्र में अवैध शराब बनाने, उसकी बिक्री रोकने की प्रभावकारी करवाई न करने के कारण की गई प्रारम्भिक कार्रवाई ऊपर बतायी जा चुकी है। मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तक की गई जांच पड़ताल से, पीड़ितों का इलाज करने में अस्पताल के प्राधिकारियों की ओर से किसी लापरवाही का संकेत नहीं मिलता है।

प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़े

अस्पताल	दाखिले किये गये	मृत	छुट्टी दी गई	जीवित हैं तथा इलाज हो रहा है	जोड़
विलिग्डन	37	15	17	5	
इर्विन	2	—	—	2	
गंगाराम	1	1	—	—	
हिन्दुराव	1	1	—	—	
	41	17	17	7	41
अस्पताल के बाहर		4			4
		21			45

Shri Om Prakash Tyagi: A number of persons have died by consuming this type of liquor in Rameshwari Nagar in West Delhi.

People residing in Rameshwari Nagar and Amritkaur Nagar are used to distil this type of illicit liquor which is sold at a very cheap rate there. These people had the blessings of congress party and the police.

The Member of Parliament from that area has been writing to the I. G. Police since April to check this but police had failed to take any action.

I want to know whether prohibition is proposed to be introduced in Delhi? Police have failed to check this type of illicit distillation of liquor.

Shri Charan Singh : There is no intention to impose a collective fine on the residents of the locality where the illicit liquor trade is going on.

The fact that the illicit trade in liquor is going on for quite some time shows that the police is in convineance with them. That is why we haves suspended some of their officials. If the SP is also found guilty we will not hesitate to take action against him also.

In so far as the enforcement of prohibition in Delhi and throughout the country is concesned, it cannot be done by legislation alone. We will have to educate the people about the evil effects of drinking and also create an atmosphere in the country against this evil.

Chowdhury Balbir Singh (Hoshiarpur) : We are committed to prohibition. We should see to it that total prohibition is introduced at the earliest as promised by us during the electing to the people.

All those who distil illicit liquor should be tried in the court of law and the culprits should be dealt with according to the law of the land.

Shri Charan Singh : There is specific mention of prohibition in our party manifesto for which a party meeting will be convened. We will do whatever is possible to introduce prohibition.

Shri Kishore Lal (East Delhi) : I want to know when the laudable objective of prohibition is likely to be achived?

Sale of liquor contracts had been a subject of fraud and scandals. I want the Government to order a probe into the Scandals involved in the auction of liquor contracts by the Congress Government.

Shri Charan Singh : There is little scope for enquires.

They are trying to find from where this wine has come which has caused the death of several persons. Law cannot serve the purpose unless an atmosphere is created against the consumption of wine.

Shri Mohi Lal (Bijnor) : Whether hon. Minister will enquire about the action taken by I. G. Police on the three letters of Shri Sarusunia, which he wrote regarding illegal sale of spurious liquor in the presence of an A.S.I.? The guilty persons should be punished.

I would like to know from the Hon. Minister what action is being taken against the persons who are having wine from Haryana and sell it here through ex-criminal tribes......

Shri Ranbir Singh : (Kurukshetra) On a point of order Sir. There is no criminal tribe in the eye of law. As such hon. Member is mentioning a wrong thing and it should be expunged from the records.

Shri Mohi Lal : I have said ex-criminal Tribes not criminal Tribes. In the days of the British there was such a term used for a particular tribe.

उपाध्यक्ष महोदय : ब्रिटिश काल में अपराधी जाति कहने की प्रथा हो सकती है, अब कृपया वे इसका प्रयोग न करें। प्रत्येक जाति में अपराधी हैं।

Shri Mohi Lal : Whether small scale industries will be started for these people as it was in past so as to give employment to these tribes.

Shri Charan Singh : The Question of making arrangements for giving emplo yment to these people engaged in illegal distillation etc. does not arise.

So far as the action taken by I.G. on the letters of Shri Sarsunia is concerned, I will make an enquiry.

अधीनस्थ विधान सम्बधी समिति

Committee on Subordinate Legislation

पहला प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)) मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 18 जुलाई, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची में से बची मदों पर विचार।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(3) इलायची (संशोधन) विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(5) वर्ष 1977-78 के लिये नागालैंड बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(6) वर्ष 1974–75 के लिये अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(7) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा ।

(8) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विचार तथा पास करना)

(9) नाशीकीटमार (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विचार तथा पास करना)

(10) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विचार तथा पास करना)

वित्त (संख्या-2) विधेयक—जारी

Finance (No. 2) Bill—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी को बोलने के लिये बुलाने से पहले मेरा एक सुझाव है। यह आम राय है कि सामान्य चर्चा को खण्डवार चर्चा के बचाय अधिक समय दिया जाए। अतः मेरा सुझाव है कि आम चर्चा को 10 के बजाय 12 घण्टे दिए जाएं। पहले भी इतना ही समय सामान्य चर्चा को दिया जाता रहा है। आपातस्थिति में इसे, 15 घण्टे दिए गए थे परन्तु 11 घण्टे में ही चर्चा समाप्त हो गई। इस लिए 12 घण्टे पर्याप्त हैं। 2 घण्टे खण्डवार विचार के लिये तथा 1 घण्टा तृतीय वाचन के लिए होगा और इस प्रकार कुल समय पहले के समान 15 घण्टे ही रहेगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : 1974–75 और 1975–76 में जब 11 घण्टे का समय लगा था व सब सदस्य नहीं थे जो इस समय हैं। इसी कारण इतना कम समय लगा। अब सभी सदस्य बोलना चाहेंगे। क्योंकि कई सदस्यों को अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर नहीं मिला। अतः मेरा निवेदन है कि सामान्य चर्चा के लिए समय को बढ़ा कर 15 घण्टे कर दिया जाए।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपने साथी से सहमत हूं कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी इस पर बोलना चाहते हैं ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : खण्डवार विचार के लिए 100 संशोधन हैं। समय के घटाने पर उन्हें पेश करना कठिन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन पेश करने वाले बहुत कम सदस्य होंगे । **(व्यवधान)**

Shri Lakhan Lal Kapur (Purnia) : The members, who were not able to speak on Demands for Grants should be given a chance now.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जनता सरकार पुरानी परिपाटी छोड़ कर जनता के हित में इसके लिए 18 घण्टे का समय रखे।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जनता का अर्थ अव्यवस्था नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रधान मंत्री ने मुझे गलत समझा है। वे अपने शब्द वापिस लें।

श्री मोरारजी देसाई : मैं वे शब्द वापिस नहीं लूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें युक्ति संगत बात कहनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपका उल्लेख नहीं किया है।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा है। जनता सरकार का अर्थ...

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने जो कुछ कहा है उसका मुझे अहसास है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं भी अपने कथन को समझता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें अव्यवस्था शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। (**व्यवधान**) उन्हें अधिक जिम्मेदार प्रधान मंत्री होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अधिक उत्तेजित न हों।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यही अच्छा होगा कि सामान्य चर्चा के लिए 13 घण्टे और शेष के लिए 2 घण्टे रखे जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : 13 घण्टे सामान्य चर्चा के लिए $1\frac{1}{2}$ घण्टा खण्डवार विचार के लिए और आधा घंटा तृतीय वाचन के लिए होंगे। प्रत्येक व्यक्ति तो संशोधनों पर बोलेगा नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : यह बड़े खेद की बात है कि पश्चिमी घाट पर मछुए, विशेष कर कर्नाटक के किनारा जिले में बेनगर गांव के मछुओं को समुद्र के कटाव का सामना करना पड़ रहा है, तथा पिछले कुछ दिनों में स्थिति और भी खराब हो गई है। यदि कटाव इसी प्रकार तीन या चार सप्ताह तक चलता रहा तो आधा द्वीप बह जाएगा। यदि समय पर कार्रवाई न की गई, तो वहां रहने वाले 10,000 लोग बेघर हो जायेंगे। सरकार इसे गम्भीरता से ले और समय रहते कदम उठाए।

अपने 100 दिन के कार्यकाल में जनता सरकार ने अनेकों आयोगों की नियुक्ति की है। इससे वे सामान्य लोगों को रोजगार तो नहीं दे सके पर हां, सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों को अवश्य रोजगार दिया है। ये न्यायाधीश जनता पार्टी की कारगुजारी से अवश्य प्रसन्न होंगे।

जांच आयोग अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के जांच करने के दौरान उसी विषय पर केन्द्र सरकार द्वारा जांच आयोग तब तक नियुक्त नहीं कर सकती जब तक कि केन्द्र सरकार जांच के क्षेत्र का दो या अधिक राज्यों तक विस्तार

करने का विचार न रखती हो। परन्तु कर्नाटक में क्या हुआ है। राज्य सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की है और अब केन्द्र सरकार ने एक और आयोग नियुक्त किया है। जनता सरकार की कार्रवाई कानून की दृष्टि से दुर्भावनापूर्ण है।

इस समय देश में अपराधियों, दिन में डाका डालने वालों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में पुलिस की असमर्थता के कारन बड़ी चिन्ता फैली हुई है। आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों के कारण पुलिस की लगातार और जोरदार आलोचना के कारण उनका मनोबल गिरने से देश में उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति से सम्पूर्ण देश चिन्तित है। पुलिस को फिर से मजबूत बनाने और उन्हें निडर हो कर स्वतंत्रता से कम करने देना बहुत आवश्यक है। कानून और व्यवस्था के हित में अपराधियों और गुण्डों से निपटते समय पुलिस के काम में कोई हस्तक्षेप न किया जाए।

जनता सरकार का काम लोगों को भोजन, आवास, दवाई और रोजगार देना है तथा गरीबी दूर करना है। यदि वे इसमें असफलता रहते है तो जिन लोगों को उन्होंने चुना है वे उन्हें उठाकर बाहर भी फेंक सकते हैं।

Dr. Baldev Prakash (Amritsar) : The Finance Minister deserves to be congratulated for presenting a realistice budget and for saving the small industries by giving them some concessions. Perhaps in the difficult circumstances in which the Finance Minister is placed to-day nothing better can be done. Not only has he provided for greater outlay in Plan for agriculture and improvement of rural life but also provide more money for generating employment in the country.

It has been said that Shrimati Indira Gandhi is a great leader who has done much for the Country. If telling lies and sticking to power by sacrificing all principles and moral values be called greatness, she is really a great leader.

All the moral pricIples had been brutally crushed during the last 10 years in the political sphere of the country. The people of the country respect that our leaders should be ideal. But Smt. Indira Gandhi claims to power by sacrificing all norms of moral values. Could it be called her greatness? If she was so she would have resigned on 12th June, 1975 when the Allahabad High Court gave its verdict against her.

Today, a new era is beginning. The dark clouds of dictatorishsip have disappeared and we are opening a new chapter in the history of our country. If even now same people want to project Smt. Indira Gandhi, whom the people have totally rejected as a great leader it will be the disaster of the Congress and its future will become darker.

Yesterday, Shri Chauhan, the leader of the Opposition had pointed out one thing that the leaders of the Janata Party talk differently about monopolies and private sector. They have created a confusion and it is not clear as to whether they are for or against these things. But the policy of the Janata Party is quite clear in this regard. I want to know from him as to where they themselves stand. If after 30 years of Congress rule the monopolies and big houses are flourishing in this country, who is reponsible for that ? How can one expect the Janata Party to do away with these things within shortest period of there months.

The art silk industry in Punjab is languishing because the monopoly of producing yarn is vested in two or three big houses which include Birla and Century Mills. With a view to bring an end to this monopoly one art silk-yarn factory should be set up either in the Public seotor or in the Cooperative sector. In this manner the unemployed workers will also get employment.

If we want to provide more employment to the people it is necessary that more money is spent in village and small scale industries. But, unfortunately, a meagre provision of Rs. 148 crore has been made for this purpose in the Budget this provision is not sufficient. Only half per cent is being spent in village and small scale industry. How can the employment problem be solved?

The Finance Minister has extended exemption limit of income tax from Rs. 8000/- to Rs. 10,000. But this relief has been nulified by retaining the nil rate slab of income at Rs. 8000/-. If the relief is to give the nil rate slab should also be intended to Rs. 10,000/-. Apart from this the rate of surcharge has also been increased from 10 to 15 per cent. This is very unfair. If the surcharge is to be increased at all, it should be above the income of Rs. 25,000/-.

Government has given some relief in income-tax to the people of Ladakh because its economy has been disturbed by the Chinese war of 1961. But there are other areas also, such as Amritsar, Ferozepur and Gurdaspur districts of Punjab which have suffered a lot in the wars of 1962, 1965 and 1971. The Finance Minister should give some exemption to the people of these districts as well.

It is very unfortunate to observe that no relief has been given to the Khandsari Industry. Khandsari Industry is a rural industry. The Congress Government had increased excise duty on this industry to such a high level that it became very difficult to run this industry. The Finance Minister should look into this matter.

The Finance Minister should give 50 percent relief in customs duty on imports meant for the Shaddy wool industry of Punjab. This is very essential because this industry is located in Punjab only.

Excise duty on fan regulators has been imposed. There is already excise duty on fans with regulators. Therefore this additional excise duty on regulators is not justified. I would like to request the Finance Minister to re-consider to this aspect also.

Shri R. N. Rakesh (Chail) : Sir, I support the Finance Bill. Our budget has been framed with the objective to remove poverty from our country. During the last thirty years the Congress Government had taken no measure to improve the lot of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Harijans are subjected to ghastly tortures even now. They are burnt alive. Their Women are raped. Despite that very few Harijans have been given lands in Uttar Pradesh and whatever land areas given to them by the previous Government has now been taken away from them by the Jats and other Caste Hindus in U. P. Nothing has been done to provide them employment. All kinds of atrocities are being committed against Harijans.

Now, the Government has imposed excise duty on Bidis. This step will aggravate the problem of unemployment. There should be provision in this budget to grant financial assistance to the poor unemployed people in rural areas. The Bahugana Government in Uttar Pradesh had taken an initiaitive to implement the recommendation of Mangal Dev Visharsad Committee to remove Poverty from the country, but it was opposed by certain big landlords who are now being taken into the fold of Janata Party. Unless poverty is removed from the country and the condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people is improved it will not be possible for the Janata Party to present their correct image before the country. With these words I support the Finance Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्य नारायण तेलुगु में भाषण देंगे और हमारे पास तेलुगु भाषा में दिए जाने वाले भाषणों के साथ साथ भाषान्तरण की व्यवस्था नहीं है।

***श्री द्रोणमराजू सत्यनारायण** (विशाखापत्तनम) : मैं अपनी मातृभाषा में भाषण दूंगा।

§माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट को जनता बजट कहा गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश इससे धनवानों और उद्योगपतियों और जमींदारों को लाभ पहुंचेगा। इससे आम लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक विकास नहीं होगा।

इस बजट के द्वारा निजी क्षेत्र को कई रियायतें प्रदान की गयी है। परन्तु सरकारी उपक्रमों के विकास की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि उनके कुशल प्रबंध के लिये ठोस कदम उठाये। उनकी उचित मांगों को पूरा न करने पर उत्पादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। काफी लम्बे समय से हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाये। उनका उत्पादन पहले ही कम हो गया है। बोनस के सम्बन्ध में सरकार उचित निर्णय ले, नहीं तो कर्मचारियों को निराशा होगी। विशाखापतनम की जनसंख्या 8 लाख है, अतः उसे 'बी' श्रेणी का नगर घोषित किया जाना चाहिए।

---

*तेलुगु मे दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

§Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

विशाखापटनम में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना में विलम्ब कर के सरकार को आंध्रप्रदेश की जनता की सहन शक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आशा है कि सरकार उन्हें इस बारे में निराश नहीं करेगी।

जनता सरकार ने अब तक जांच आयोग नियुक्त करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया है। जनसामान्य तथा विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का जीवन सुरक्षित नहीं है। यदि कुछ न किया गया तो देश में अराजकता फैल जायगी जमीदारों ने हरिजनों की भूमि पर कब्जा कर रखा है। हरिजनों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

आंध्र प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। अतः इसकी सभी परियोजनाओं को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : माननीय सदस्य ने बहुत ओजस्वी भाषण दिया है और मैं समझता हूं कि उन्होने सरकार की प्रशंसा की है।

मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है कल श्री चव्हाण ने वित्त विधेयक पर अपने भाषण के दौरान एक प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा था कि मैं यह कहकर कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को वित्तीय समर्थन नहीं मिलेगा सरकारी क्षेत्र के महत्व को कम करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा यह तात्पर्य था कि संयंत्रों के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए ही वित्तीय समर्थन दिया जायेगा। उनमें घाटा नहीं होने दिया जायेगा।

लेकिन जब राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयंत्रों के निर्माण और उनके विस्तार का प्रश्न पैदा होता है तो योजना में वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। यह व्यवस्था बजट में भी है। अतः इस सम्बन्ध में श्री चव्हाण की शंका नहीं होनी चाहिए।

***श्री ए० मुरुगेसन** (चिदम्बरम्): वित्त मंत्री ने सामान्य जनता को प्रभावित करने वाले कुछ कर लगाये हैं। बीड़ी पर लगे कर का गांव में गरीब लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस उद्योग में 20 लाख लोग लगे हैं, और बीड़ी की खपत गिरने से कई लोगों के जीवन-यापन का साधन समाप्त हो जाएगा। अतः वित्त मंत्री इस शुल्क को हटाएं।

हाल के चुनावों में जनता पार्टी ने अनिवार्य बचत योजना की राशि वापिस करने की घोषणा की थी। परन्तु सत्ता में आते ही उन्होने पहला काम इस राशि को रोकने संबंधी अध्यादेश जारी करने का किया है। कर्मचारियों को यह राशि त्यौहारों के शुरु होने से पहले हर हालत में दे दी जाए।

आयकर से छूट को बढ़ाने का स्वागत है परन्तु यदि आय एक रुपया भी बढ़ जाती है तो आयकर 8000 रुपये से लगाया जाएगा इसके अतिरिक्त अधिकार को बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है तथा यह 8000 रु० पर लगेगा। मूल्य वृद्धि से मध्यवर्ग के लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गये हैं। अतः सरकार प्रतिदिन के जीवन पर प्रभाव डालने वाले करों को हटाकर जन साधारण और मध्यम वर्गीय लोग के हितों की रक्षा करें।

---

*तमिल मे दिऐ गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Hindi Version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री ए० मुरुगेसन]

यह समझ में नहीं आता कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपये की छोटी सी राशि किस प्रकार रखी गई है जबकि इस बजट में कुल रु० 15,000 करोड़ की है। 12 करोड़ इन पीड़ित लोगों के लिए और धन की व्यवस्था की जाए।

वित्त विधेयक सरकार के राजस्व को बढ़ाने का एक सक्षम साधन है। राजस्व प्राप्ति के प्रमुख संसोधन केन्द्र के क्षेत्राधिकार में है। कराधान राजस्व का $\frac{1}{5}$ वां भाग केन्द्रीय सरकार के ही हाथों में है और केवल $\frac{1}{5}$ वां भाग राज्यों में वितरित किया जाता है। इस वर्ष के बजट में 800 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा केन्द्रीय सरकार द्वारा ही उपयोग में लाई जायेगी। विदेशी मुद्रा कमाने वाले राज्यों को तो उच्च निर्यात मूल्य वाले उत्पादों तथा फसलों में सुधार करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है। राज्य व्यापार निगम खनिज और धातु व्यापार निगम तथा अन्य केन्द्रीय संगठन निर्यात वस्तुओं से भारी मुनाफा कमाते हैं। राज्य सरकारें मूक देखती रहती है और केन्द्र के पास अपार धन रहता है पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें पूर्णत: कार्यान्वित नहीं की गई है। अब इस वित्त आयोग गठित हो गया है जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में तीम चार वर्ष लगायेगा। इस दौरान केन्द्रीय सरकार ने आयकर पर अति कर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने इस में मनमाने ढंग से राज्य सरकारों का हिस्सा निर्धारित किया है और इससे राज्य सरकारों को बहुत हानि होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के लिए राजस्व रकम करने में एजेंसियों के रूप में कार्य करती है जिसके लिए उन्हें कुछ कमीशन मिलता है। फिर केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मंजूर किया है।

केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मंजूर किया है लेकिन राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकती भले ही उनके कर्मचारी हड़ताल करें या धीरे काम करें। राज्य सरकार उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझती है फिर भी धनाभाव के कारण उनकी सहायता नहीं कर सकती।

यह उचित समय है कि केन्द्र और राज्य पारस्परिक लाभ के लिए स्वास्थ्य वित्तीय संबंध स्थापित करें। वित्त मंत्री को केन्द्र राज्य वित्तीय संबंधों के प्रश्न पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Shri Arujun Singh Bhadoria (Etawah) It is a matter of regret that the finance Minister hardly comes to this House. I have been noticing that he comes and hardly stays for 5 or 10 minutes and then goes away. This is not fair. since discussion on general budget is taking place his presence here is all the more necessary. We have to keep up our democratic traditions. We have assured the people that we will follow them so we should not betray them.

{श्री सोनू सिंह पाटिल पीठासीन हुए}
{**Shri Sonu Singh Patil** *in the Chair*}

The budget of a country reflects the economic condition of that country. A congress member has called the present budget a capitalist budget. But I am of the opinion that it is neither capitalist nor socialist nor Gandhian budget Ghandhiji had said that our country lives in villages. This budget contains no direction in regard to the upliftment of rural people though 82 per cent of our population lives in villages. On the other side 83 lakhs of people have been given benefit by allowing them further examption in income tax. While 69 percent of the people in the country are living below poverty line, this exemption is a fraud against those people.

In order to bring about the upliftment of our rural people they have to be given proper education. The present position is that not even 5 percent of the total budget is not being spent on the items of education while only 30 percent of our population is literate. No steps have been taken to educate the weaker sections of society. Therefore more funds should be spent to make the large section of our country men literate.

So far as drinking water is concerned there are about 50,000 villages where there is absolutely no provision for the supply of drinking water. Instead of granting exemption in income-tax if this amount was spent on making provision for the supply of drinking water it would have solved tthe problem to some extent.

The problem of unemployment has become very serious in the country. Yesterday only a young man of 26 years has committed suicide. He was M. A. and after trying hard he was not able to find a job.

The problem of unemployment is becoming serious because adequate attention has not been paid to the development of handicraft's and cottage industries.

The duty on stainless steel has been reduced on account of this we will suffer loss of 8 crore rupees of foreign exchange stainless steel utensils are not used by the poor so I request that the duty on stainless steel should be raised to Rs. 520.

The role of the news agency 'Samachar' which is the product of the previous Government and also that of All India Radio is most discouraging . Not a single pie should be given to all India Radio till an autonomous corporation is set up. The creation of 'Samachar' has blocked the development of journalism in the country. Therefore the news agency of 'Samachar' should be wound up and all the old news agencies should be revived.

I want to suggest that Rashtrapati Bhawan should be closed down and an Ayurvedic Research Institute should be set up there.

The minimum and maximum limits of income should be fixed at Rs. 200 and Rs. 2000 respectively. This will bring about a saving of Rs. 1500 crore which can be utilised for removing the poverty and illiteracy from our country.

With these words I conclude.

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी (जूनागढ़): यह बहुत दुख की बात है कि कार्य मंत्रणा समिति ने विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा के लिए कोई समय नहीं रखा है । सरकार के तीन अंग है : कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका । अतः न्यायपालिका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है । इस मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों के समान ? नहीं समझना चाहिए । मुझे आशा है अगली बार इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिए समय दिया जाएगा ।

प्रतिपक्ष के नेता ने कुछ मंत्रियों की सराहना की है और कुछ मंत्रियों के संबंध में कहा है कि उनका व्यवहार बहुत रूखा है । कहीं वह गृह मंत्री के इस वक्तव्य की ओर, कि भूतपूर्व सरकार का विचार विरोधी दल के कुछ नेताओं को गोली से उड़ाने का था, तो इशारा नहीं कर रहे थे। आज श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होने गृह मंत्री के वक्तव्य का खण्डन किया है । श्रीमती गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गृह मंत्री का भाषण अनर्गल, अन्यायपूर्ण तथा निराधार है । इस संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है कि क्या ऐसी आशंका को सिद्ध करने के लिए वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी ? वस्तुस्थिति यह है कि उन दिनों ऐसा भय हो गया था कि तब कुछ भी होना संभव था । अनेक राष्ट्रीय नेता संसद् के विपक्षी दलों के तथा कांग्रेस पार्टी के सदस्य गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेलों में डाल दिया गया था । जिन्होने आपातस्थिति का विरोध किया उन्हें भी जेलों में डाल दिया गया । आतंक फैला हुआ था । केवल एक व्यक्ति का ही राज्य था । तानाशाही का बोलबाला था ।

[श्री नरेन्द्र पी0 नाथवानी]

इस संदर्भ में तत्कालीन महान्यायवादी के तर्कों पर ध्यान देना होगा । मैं यह नहीं कहता कि तत्कालीन महान्यायवादी का कोई ऐसा विचार अथवा योजना थी । लेकिन उस समय लोगों को अपनी जान की रक्षा के लिए न्यायालयों की शरण में जाने का भी अधिकार नहीं था । न्यायालय भी उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकते थे वे लाचार थे ।

यह अत्यंत खेद की बात है कि इस आरोप का खंडन करते हुए श्रीमती गांधी यहां तक कह गई हैं कि ऐसा विचार उन्हीं लोगों को आ सकता है जिसकी विचारधारा ही वैसी है । यह स्पष्ट आरोप है जो गृह मंत्री पर लगाया गया है । यह बहुत दुख की बात है कि वह इस सीमा तक पहुंच गई हैं ।

जहां तक बजट प्रस्तावों का संबंध है, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि व्यय को पूरा करने के लिए वे विदेशी मुद्रा में से 800 करोड़ रूपए का ऋण लेगें और यह 800 करोड़ रुपया कहां कहां खर्चा जाएगा । उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाएगा फिर भी शंका व्यक्त की गई है रिजर्व बैंक की पत्रिका कोमर्स में प्रकाशित एक लेख में यह बताया गया है कि जनता सरकार ने रिजर्व बैंक से 1221 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण लिया है जिसका यह अर्थ है कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आरम्भ में सरकार को 1221 करोड़ रुपए का ऋण दिया है इस लेख में यह भी बताया गया है कि तीन महीने के भीतर इतना अधिक ऋण लेने से ही मूल्य वृद्धि हुई है । वित्त मंत्री को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

जहां तक कराधान प्रस्तावों का संबध है पुंजीगत लाभ कर में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है दूसरा प्रस्ताव है रुग्ण एककों का घाटा आगे बिठाने का है, जो लाभ वाले एककों में मिलाए जायेंगे । इन प्रस्तावों की यह कहकर आलोचना की जा रही है कि यह पूंजीपतियों के पक्ष में है । जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें वस्तुस्थिति का पता नहीं है । पूंजीगत लाभ कर के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ? कुछ रियायतें दी गई है । यह प्रस्ताव इस स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए किया है अब किसी को भी सम्पत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य में हिस्सा लेते हुए भय नहीं होना चाहिए । मकानों, जेवरात तथा अन्य वस्तुओं के विक्रय के बारे में स्थिति की वास्तविकता पर ध्यान रखते हुए ही प्रस्ताव किया है । किसी भी सम्पत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का हिस्सा करने में भयभीत नही होना चाहिए । जहां तक रुग्ण एककों की हानि को आगे ले जाने का संबध है अधिक मुनाफा कमाने वाले औद्योगिक उपक्रम रुग्ण मिलें, मालिकों या प्रबंधकों के साथ जाली साठ-गांठ कर अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं । यह प्रस्ताव करते हुए इस बास्तविकता को ध्यान में रखा गया है ।

जहां तक दान का सम्बन्ध है यह सीमा बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दी गई है । परन्तु जहां तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में राशि निवेश का सम्बन्ध है ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है । आयकर कानून में 'धर्माथ उद्देश्य' और उस के क्षेत्राधिकार की परिभाषा दी गई है, लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रम की परिभाषा नहीं की गई है । भ्रांति दूर करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए ।

अब मैं अपने दो संशोधनों के बारे में कहना चाहता हूं । ये संशोधन खण्ड 11 और 15 के उपबन्धों से सम्बन्धित है । सरकार ने कार्यकारी अधिकारियों को बहुत अधिक स्वविवेकी अधिकार दिये है, जिन से भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जायेगा । ऐसा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए । सरकार को अधिनियम में ही अथवा नियमों में विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करनें चाहिए ताकि स्वविवेक का सिद्धान्त अपनाने की गुंजाइश सीमित हो सकें ।

श्री० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में जो रूपभेद किए हैं वे स्वागत योग्य हैं, तथापि मैं यह अवश्य कहूंगा कि प्रत्येक वित्त मंत्री अनेक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिए लालायित तो हो जाता है, तो लेकिन इस से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है, जिनमें छोटे लोग और व्यापारी भी शामिल है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में पुनः विचार करें, क्योंकि अनेक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने से सभी को कठिनाई होती है। उत्पादन कर सम्बन्धी बजट प्रस्तावों के आते ही उत्पादन कर निरीक्षक देश भर में फैल जाते हैं और वस्तु सूचियों के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वे इस प्रकार व्यवहार करते हैं मानो सभी व्यापारी चोर हों। अतः वित्त मंत्रालय को कर अधिकारियों को यह निदेश देना चाहिए कि वे इस प्रकार व्यवहार करें जिस से ईमानदार व्यापारियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में गत वर्षों में नियमों, विनियमों, प्रतिबंधों आदि की इतनी भरमार रही है कि इस से भ्रष्टाचार बढ़ा है। जितने अधिक नियम और विनियम होते हैं, अधिकारियों को उतनी ही अधिक शक्ति मिल जाती है और इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। अधिकांश नियमों और विनियमों को बदला जाना चाहिए, क्योंकि इनसे भ्रष्टाचार बढ़ता है और कर अप-वंचन भी बढ़ता है। इस से राजकोष में बहुत कम राशि प्राप्त होती है। इस से उपभोक्ता पर भार बढ़ता है, क्योंकि इस देश के उपभोक्ता संगठित नहीं है और उन की कोई सुनवाई नहीं होती।

वित्त मंत्री ने हथकर्घा, कपड़े, स्टेनलैस स्टील, फिल्म रीलों आदि पर बहुत अधिक छूट दी है। परन्तु बीड़ी और खांडसारी पर बहुत अधिक कर लगा दिया गया है। अनेक सदस्यों ने वित्त मंत्री महोदय को इस बारे में लिखा है, परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। यह बड़ी ज्यादती है कि उन्हें प्रोत्साहन देने की बजाय इन पर करों में वृद्धि की गई है। बीड़ी के छोटे उत्पादकों और बिजली का सामान बनाने वालों को भी नहीं छोड़ा गया है। वित्त मंत्री को इन प्रस्तावों पर पुनः विचार करना चाहिए।

जनजीवन और राजनीतिक जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना होगा। हम देश में ईमानदारी लाना चाहते है। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार और वर्तमान जनता सरकार में दोहरा अन्तर होना चाहिए। वर्तमान जनता सरकार जो जनोन्मुखी है और भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजे-वाद से ऊपर होना चाहिए। परन्तु गत 110 दिनों के शासन में यह अन्तर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हुआ है।

हमें जनजीवन को स्वच्छ बनाने के लिए यह सिद्ध करना है कि जनता सरकार भ्रष्ट नहीं हो सकती। लोगों ने जिस विश्वास से हमें चुना है, हमें उसे पूरा करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि जनता सरकार के प्रथम 100 दिन अत्यन्त अच्छे रहे हैं और गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक अच्छी है। परन्तु यह आरम्भ है, अन्त नहीं है।

स्वतंत्रता पुनः प्राप्त हो गई है। अधिकांश कैदियों को रिहा कर दिया गया है। कानून का शासन पुनः स्थापित हो गया है। मूलभूत अधिकार सुरक्षित कर दिए गए है। नागरिक अधिकार आयोग नियुक्त हो गया है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली फिर से कार्य करने लगी है। लेकिन इन सब के प्रतिकूल आर्थिक नीति सुव्यवस्थित और जनहितकारी नहीं है। इस

[श्री पी० जी० मावलंकर]

के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। जांच आयोग स्थापित किए जा रहे हैं। जांच आयोग स्थापित किए जाने चाहिएं। परन्तु जांच आयोगों की इतनी अधिक भरमार नहीं होनी चाहिए। हमें अतीत को भुला देना चाहिए और नये भविष्य का निर्माण करना चाहिए। लोग यह नहीं चाहते कि एक आयोग के बाद दूसरे आयोग का गठन किया जाये, बल्कि वे चाहते हैं कि नए भारत का निर्माण हो। नये भारत के निर्माण के लिए जनता सरकार के कार्य जनकल्याणकारी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष होने चाहिएं।

जनता पार्टी के विभिन्न घटकों, सत्ताधारी दल के भिन्न अंगों और विचारधाराओं को समाप्त कर देना चाहिए। उद्देश्य की एकता, मूलाधारों पर सहमति और सर्वसम्मत नीतियों और कार्यक्रमों को वित्त विधेयक, जनता पार्टी और जनता सरकार के बजट में परिलक्षित करना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि नौकरशाही की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता। हम ठीक, उचित और कार्यकुशल नौकरशाही के बिना कार्य नहीं कर सकते। मुझे याद है, कि सरदार पटेल ने कहा था कि हमारी नौकरशाही और प्रशासन दक्ष तथा सर्वोत्तम है और इसीलिए हम अपने देश का कार्य अच्छी तरह से चला रहे हैं। परन्तु तब से अब तक स्थिति बहुत बदल गई है। नौकरशाही का कार्यभार, आकार और अधिकार बढ़ गये हैं। उसकी सत्ता बढ़ गई है और उस का दबदबा बढ़ गया है। मैं आशा करता हूं कि नौकरशाही को नियंत्रित करके जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल बनाया जायेगा।

सरकार को संविधान की कठिनाइयों एवं खामियों को तुरन्त दूर करना चाहिए, जो पिछले वर्ष पैदा की गई थीं। दल विरोधी विधेयक शीघ्र लाया जाना चाहिए। गन्दी बस्तियों में रहने वाले, भूमिहीन, हरिजन, आदिवासी, पददलित और गरीब लोग जनता सरकार की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। हमें उनकी आशाओं को पूरा करना चाहिए।

श्री टी० बालकृष्णया (तिरुपति) : यह बजट अच्छा नहीं है क्योंकि इससे जनसाधारण के जीवन-स्तर में सुधार नहीं होता। इस सरकार को ग्रामीण विकास और ग्रामीण पुन: संरचना की बहुत चिन्ता है। लेकिन हरिजनों के बारे में क्या सोचा है? वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इनके सम्बन्ध में मामूली सा उल्लेख किया है जिसमें यह नहीं बताया गया है कि ग्रामीण निर्धनों, हरिजनों, गिरिजनों और पिछड़े वर्गों के बारे में जनता सरकार क्या करना चाहती है। गृह मंत्रालय का प्रतिवेदन भी वैसा ही पुराना प्रतिवेदन है। इसमें पिछली सरकार की नकल की गई है। वर्तमान सरकार क्या करना चाहती है, इस प्रतिवेदन में यह कुछ नहीं है।

जब जनता पार्टी सत्ता में आई सभी महात्मा गांधी की समाधि पर एकत्र हुए थे और गांधी के आदर्शों पर चलने का वचन लिया था। लेकिन अब उन में से कितने गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं। प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख कर सलाह दी है कि हरिजन कल्याण कार्य के बारे में विशेष ध्यान दिया जाये। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि कितने मुख्य मंत्री उनकी सलाह का पालन करेंगे विशेषतया उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जहां हरिजनों पर नृशंस और अमानुषिक अत्याचार किए गए है।

हरिजनों को कुछ संवैधानिक संरक्षण दिए गए है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का निवारण हो गया है और इसको किसी भी रूप में व्यवहृत करना निषिद्ध है। लेकिन

हुआ क्या है । एलायापेरुमल समिति के नाम से एक समिति गठित की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । उसने छुआछूत बरते जाने के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनेक वर्षों के बाद भी अस्पृश्यता बरती जाती है । बड़े खेद की बात है कि अस्पृश्यता उन्मूलन करने के लिए कानून पास करने के बाद भी हमारे समाज में यह बुराई अब भी विद्यमान है ।

बेलछी, कटक और अन्य स्थानों पर हरिजनों पर किए गए नृशंस तथा अमानुषिक अत्याचारों की घटनाएं सुन कर सदस्यों को बहुत रोष हुआ है ।

उत्तर एवं दक्षिण के फार्म उत्पादों के मूल्यों में क्षेत्रीय असन्तुलन है । दक्षिण में मुख्य रूप से धान की पैदावार होती है जबकि उत्तर में केवल गेहू की पैदावार होती है । जनता सरकार बनते ही गेहूं के मूल्य बढ़ा दिए गए लेकिन चावल के मूल्य नहीं बढ़ाए गए है । खाद्यान्नों के मूल्यों के मामले में सरकार क्षेत्रीय असन्तुलन किस प्रकार समाप्त करेगी ?

कुछ मित्र 20 सूत्री कार्यक्रम में दोष निकाल रहे हैं । वे इसे समाप्त करना चाहते हैं लेकिन उन को यह मालूम नहीं कि इस कार्यक्रम से गरीब लोगों को और विशेषकर हमारे राज्य के गरीब लोगों को मदद मिली है । आन्ध्र प्रदेश में मुख्य मंत्री ने बड़ी अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया । गरीब लोगों को ऋण, मकान के लिए जगह तथा रिक्शा, टैक्सी एवं स्कूटर आदि लाभ मिले । गरीब लोगों का आर्थिक स्तर भी सुधरा ।

सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में असमर्थ रही है । नागरिक पूर्ति मंत्री ने व्यापारियों से मूल्य वृद्धि न करने के लिए कहा है । क्या उनकी सलाह व्यापारियों ने मान ली है । मंत्री महोदय ने कहा था कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जनता बाजार खोलेंगे ताकि मूल्यों को कम किया जा सके । मंत्री महोदय ने शहरों में ये बाजार खोले हैं । क्या शहरों एवं कस्बों में ऐसे बाजार खोल कर वह कीमतों को रोक पायेंगे । आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं । सरकार इनको किस प्रकार रोकना चाहती है ?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में हथकरघा बुनकर है । उन्हें ऊंची कीमत पर धागा मिलने के कारण कठिनाई हो रही है । पहले धागा 65 रुपए की दर से बेचा जाता था । अब यह 105 रुपए की दर से बेचा जा रहा है । अधिकांश बुनकर भूखे मर रहे हैं और काम की तलाश में शहरों और कस्बों की ओर भाग रहे हैं । सरकार इस मामले की जांच करे । बजट भाषण में देश के पिछड़े वर्गों के बारे में कुछ नहीं किया गया है । सरकार का आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम है ?

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : महोदय, वित्त विधेयक में पारस्परिक दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता हैं । यद्यपि कुछ छिटपुट प्रगतिदायी उपायों का भी प्रस्ताव हैं जैसे कि ग्रामीण विकास भत्ता आदि लेकिन यह स्पष्ट हैं कि कराधान प्रस्ताव निगमित क्षेत्र और समृद्ध वर्गों के पक्ष में हैं । निगमित क्षत्र की तरफ यह झुकाव आम आदमी एवं मध्यवर्ग के हितों के विपरीत जाता है ।

[श्री जी० एम० बनतवाला]

मध्यवर्ग को आय-कर में ऊपरी तौर पर तो छूट दी गई है पर बड़ी चालाकी से उसे वापस भी ले लिया गया है। उधर अब तक पूंजी निवेश की अनुमति चन्द उद्योगों को अब यह सभी उद्योगों के लिए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अनिवार्य लाभांशों की अदायगी से भी छूट दी गई हैं। लेकिन सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि पूंजी लाभों पर कर के सिद्धांत की तरफ वित्त विधेयक का दष्टिकोण ठीक नहीं है। वित्त विधेयक के प्रस्तावों द्वारा पूंजीगत लाभों पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया है। दीर्घावधि से पूंजी की बिक्री से होने वाले लाभ को कर से मुक्त करने का कदम हानिकारक है। वित्त विधेयक ने दीर्घावधि एवं लघुअवधि पूंजियों का सिद्धान्त ही बदल दिया हैं। इस दीर्घावधि पूंजी आस्तियों की बिक्री में सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्त विधेयक के खण्ड 38 ने हमारी काराधान नीति में अन्यन्त आपत्तिजनक विशेपता जोड़ दी है। इस खण्ड के माध्यम से स्वैच्छाया आय प्रकटन तथा धन कर अधिनियम, 1976 में संशोधन किया गया तथा कर अपवंचकों को रियायतें दी। इस पर मुझे गम्भीर आपित्त हैं।

वित्त विधेयक में कर अपवंचन तथा काला धन कमाने की क्षमता में वृद्धि करने की गुंजाइश है। यह बात बडी निराशाजनक है। एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि जब भी रुग्ण एकक चालू एकक के साथ समायोजित हो जाएं तो रुग्ण एकक को हुई हानि चालू एकक के लाभों में से घटाई जा सकती है। इस से समानान्तर अर्थ व्यवस्था बन जायेगी। साथ ही एक वर्ष के पूंजीगत लाभों की दूसरे वर्ष के पूंजीगत लाभों में हस्तान्तरित करने से कई फर्में हेरा-फेरी कर सकेंगी।

वित्त विधेयक के प्रावधान श्रम-विरोधी हैं। उदाहरण के लिए खण्ड 15 में लाभकारी एककों द्वारा रुग्ण एककों को अपने हाथ में लेने वाले लाभकारी एकक रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या उतनी ही रहने दें जितनी रुग्ण एकक के प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व थी। श्रमिकों के हित के लिए ऐसा कोई प्रावधान वित्त विधेयक में नहीं किया गया है।]

सम्पूर्ण उद्योग-समूह को पूंजी निवेश छूट का भी उल्लेख है। इस नीति की प्रवृत्ति उद्योग में पूंजी प्रबलता की ओर है। पूंजी प्रबलता श्रमिकों को हानि पहुंचा कर प्राप्त की जा रही है। श्रमिकों को अहित पहुंचा कर पूंजी प्रोत्साहन देने की नीति में यह संकेत मिलता है कि सरकार ने श्रम विरोधी नीति अपनाई है।

सरकार को वित्तीय नीति के आपत्तिजनक स्वरूप पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि यह संकीर्ण दृष्टिकोण का द्योतक है। इसमें कर अपर्वंचकों द्वारा कर की हेराफेरी करने की गुंजाइश है और इन प्रस्तावों से बुर्जुआवादी वर्ग मुद्रास्फीति का लाभ उठायेगा।

बीड़ी तथा ऐसी की अन्य वस्तुओं पर लगाये गये उत्पादशुल्क पर भी पुनर्विचार की जरूरत है। आशा है सरकार मेरे सुझावों पर गम्भीर रूप से विचार करेगी।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए
Sh. M. Satyanarayan Rao *in the chair*]

श्रीमती पार्वती कृष्णन : (कोयम्बत्तूर) मुझे वित्त मंत्री जी के भाषण से बहुत निराशा हुई है । आशा थी कि वह गरीबी तथा बेरोजगारी समाप्त करने के लिए स्पष्ट नीतियों का संकेत देंगे । लेकिन बजट प्रस्ताव रखते समय इस बारे में कुछ नहीं बताया गया । कर की भारी बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार का प्रस्ताव क्या कार्यवाही करने का है । इस विषय में कुछ नहीं बताया गया । कल कहा गया कि कुल बकाया राशि 873.56 करोड़ रुपए हैं । और शुद्ध बकाया राशी 569.84 करोड़ रूपये हैं । 1975 में जो राशि बकाया थी उस में और इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है । कर की बकाया राशियों की वसूली के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में कई उपबन्ध हैं । इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि कर की बकाया राशियों की वसूली के लिए क्या कुछ लिया गया है । करों की बकाया राशि अधिकांशत: बड़े-बड़े व्यापार गृहों तथा अधिकतम आय प्राप्त करने वालों से वसूल की जानी है ।

अनिवार्य जमा योजना तथा कम से कम 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस न देने से कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । दूसरी ओर कम्पनियों को विभिन्न प्रकार से रियायतें दी गईं जो कि देश-विरोधी थीं । वर्तमान सरकार ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया । हमें पता है कि गत वर्ष कम्पनियों ने किस तरह अपना मूनाफा बढाया जबकि हमें बताया गया था कि पूंजी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । कहा गया था कि निवेश बढ़ाने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । किन्तु इस तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया ।

एक ओर बड़ी कम्पनियों के लाभांश बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर श्रम लागत कम होती जा रही है । रिजर्व बैंक बुलेटिनों से पता चलता है कि मजदूरों को दी जा रही मजूरी कम होती जा रही है और हमें यह बताया जा रहा है कि मजदूरों को और मजूरी देने से मुद्रास्फति बढ़ जाएगी । हम इस तर्क को किस तरह स्वीकार कर सकते हैं ? हमने स्वयं देखा है कि अनिवार्य जमा योजना के बावजूद मुद्रास्फीति बढ़ी है, मजूरी की लागत कम हुई है लेकिन मुद्रा स्फीति बढ़ी है । बोनस भी इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि मुद्रा स्फीति बढ़ जायेगी । फिर भी लाभों में वद्धि हुई है ।

ग्रामीण क्षेत्र और लघु क्षेत्र को प्रोत्सहान देश के नाम पर हौजरी पर उत्पाद शुल्क में 2 प्रतिशत की वद्धि की गई है । हौजरी उद्योग न केवल लघु क्षेत्र में है बल्कि आम आदमी के काम आता है । सिले-सिलाये वस्त्रों का प्रयोग देश के सम्पन्न लोग करते हैं किन्तु इससे उत्पाद शुल्क से अलग रखा गया है । यह कैसा जनता बजट है जिसमें जनता को ही भुला दिया गया है ।

सभी दलों के बहुत से संसद् सदस्यों ने मिलकर वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि बीड़ी पर उत्पाद शुल्क हटा दिया जाए.। लाखों लोग विशेष कर महिलायें बीड़ी उद्योग पर आश्रित हैं चाहे ये लोग महाराष्ट्र के हों अथवा मध्य प्रदेश के तमिलनाडु के हों अथवा केरल के, इस शुल्क से इन लोगों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है अतः बीड़ी पर लगाया गया शुल्क हटा दिया जाना चाहिए ।

वित्त मंत्री ने बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सरकारी नीति का कोई संकेत नहीं दिया है । सरकार को बेरोजगारी भत्ता योजना चालू करके बेरोजगार लोगों को संरक्षण देना चाहिए ।

[श्रीमति पार्वती कृष्णनों

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है ,जब तक सरकार वर्तमान भूमि सुधार कानूनों को गम्भीरतापूर्वक एवं ईमानदारी से कार्यान्वित नहीं करती है और खेतिहर मजदूरों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं देकर संरक्षण प्रदान नहीं करती तब तक ग्रामीण निर्धनता दूर करने और उनका विकास करने की सरकार की बात व्यर्थ है। हरिजनों के साथ किए जा रहे अत्याचारों की घटनाओं का सीधा सम्बन्ध भूमि सुधार समस्या के साथ है । अगर हम खेतिहर मजदूरों को रोजगार देकर और ग्रामीण क्षेत्रों शोषक वर्गों एवं निहित स्वार्थों से बचाकर उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आ जायेगा जिससे वहां व्याप्त निर्धनता पर काबू पाने में सहायता मिलेगी ।

मूल्य वृद्धि की समस्या बड़ी गम्भीर है लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए लोक वितरण केन्द्रों का जाल बिछाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं । हमें यही बताया जा रहा हैं कि अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मूल्य वद्धि हो सकती हैं । इससे श्रमिक वर्ग कदापि राजी नहीं है ।

उद्योग मंत्री ने कहा है कि वह रुग्ण उद्योग मजदूरों को सौंप देंगे । मजदूरों को रुग्ण उद्योग सौंपने की बजाय चालू उद्योग सौंपे जाने चाहिए ताकि वे उस उद्योग को और विकास कर सकें ।

जीवन बीमा कर्मचारियों को तत्कालीन कांग्रेस सरकार से एक विशेष उपहार मिला था । कर्मचारियों एवं प्रबन्धकों के बीच हुए करार जिसका पंजीकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था संसद् के अधिनियम द्वारा रद्द कर दिया गया । देश के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं सुना गया । सरकार लोकतन्त्र को फिर से स्थापित होने का दावा करती है । अतः उसे जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को फिर से वापस दिलाना चाहिए ।

जीवन बीमा निगम उत्तरोत्तर लाभ कमा रहा है । हर वर्ष इसे हजारों करोड़ों रुपए का लाभ होता है । और अगले वर्ष यह लाभ और बढ़ जाता हैं । बोनस का सम्बन्ध केवल श्रमिक वर्ग से ही नहीं अपितु जीवन बीमा कर्मचारियों से भी हैं । सरकार को गत वर्ष पारित किये गये विधान को रद्द करना चाहिए और जीवन बीमा कर्मचारियों को उन्हें वे अधिकार पुनः वापिस दिलाने चाहिए जो उन्होंने श्रम एवं कठिन मेहनत से प्राप्त किये थे ।

सामान्य बीमा कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है । सामान्य बीमा कर्मचारी अपने मूल वेतन, मंहगाई भत्ते एवं व्यक्तिगत वेतन का 8 प्रतिशत भाग सरकारी अधिसूचना के अनुरूप भविष्य निधि में जमा करवा रहे थे । अब सरकार ने अंशदान की दर बदल दी है । यह दर सांविधिक न्यूनतम दर से भी कम है । यदि सरकार पहले की अधिसूचना पर अमल करे तो उन्हें कर्मचारियों से अनिवार्य बचत एवं भविष्य निधि के रूप में 20,000 रुपए की राशि मिलेगी । साथ ही कर्मचारियों को भी लाभ होगा क्योंकि उन्हें सेवानिवृत्ति होने पर काफी राशि मिलेगी । मंत्री महोदय को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए ।

आयकर दाताओं द्वारा अनिवार्य जमा योजना में धन जमा करार की प्रक्रिया जटिल है। जो कर्मचारी 15000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक कमाते हैं और भविष्य निधि के सदस्य है उन्हें भविष्य में सामान्य अंशदान के अतिरिक्त भविष्य निधि लेखे में अनिवार्य जमा योजना की राशि के अंशादान की अनुमति दी जानी चाहिए। यह राशि देनें वालों तथा राशि लेने वालों दोनों के लिए सुविधाजनक है यदि वित्त मंत्री इसे सम्भव बना सकें तो इस से बैंक बीमा तथा अन्य वेतन भोगियों को लाभ होगा।

Shri Rajendra Kumar Sharma (Rampur) The Congress Party had ruined the economy of of the country. It would take quite sometime for the Janata Government to set it right. Our Government is determined to improve the economy of the country and it will sucessed in achieving its objective.

Present trend of rising prices is the result of wrong economic policies pursued by the previous Government. The Government should make an all out effort to control inflation. So long as there is black money in operation in our country, it would be difficult to control inflation. Stern measures should be taken to control back money.

The bussiness community has been misusing the credit facilities provided to them by banks. The Government should take strict measures to check this misuse.

There is need to pay more attention to the development of agriculture. The Government have not spelt out any new proposal to improve agriculture. Prices of fertilizers and tractors are very high. Small farmers cannot affort to purchase fertilizers or tractors. Steps should be taken to reduce their prices.

There is need to provide more irrigation facilities. More attention should be paid to minor irrigation.

There is a scheme of giving bank loans for purchase of pumping sets. There are instances when loans were sanctioned to certain people and they were asked to pay instalments but actually they did not get pumping sets. Such malpractices should be checked.

There has been increase in prices of various commodities. But there is no corresponding increase in price of wheat. This hits hard the farmers.

There is wide-spread unemployment in rural areas. It is because the previous government had completely ignored the industrialisation of rural areas. It is good that the new government is giving top prioriy to setting up of small scale industries in rural areas. The Government should provide necessary marketing facilities for sale of goods produced by small scale units.

U. P. is a backward state. It did not get justice from the previous Government. The Government should give priority to the development of backward states.

In my district there is kothi khashad Place with an area of 300 acres. Huge building of the palace should be used by government for setting up an industry or some office of Central Government can be located there.

There are many Bidi workers in Rampur. The Minister should give relief to bidi-workers by reducing the duty.

Shri Ram Awadhesh Singh (Bikramganj) This year's budget and the Finance Bill would result in further rise of the general prices. This budget would seriously affect the lowest man of our society, because no concrete steps are envisaged in it to stabilise the prices. What concrete Steps are being taken to contral rising prices. Indira Government constantly deceived the country for the last 30 years ......(*Interruptions*) several times in the past it had been said that the prices will be brought down. But nothing has been done.

As suggested by Dr. Lohia the purchasing power can be increased only when the goods manufactured in factories are sold at a price not more than one and half times the cost of production If this principle is adopted, there will be a larger demand for goods and it will bring about an increase in production and employment opportunities. But it is painful to note that the present Government is not thinking on these lines.

[Shri Ram Awadhesh Singh]

This budget does not indicate any measures proposed to be taken to improve the condition of rural people. It has allotted only Rs. 45 crores for the development of small scale or cottage industries in the rural sector. But this fact can not be ignored that 45 crores of people in the country are still living below the powerty line. The ratio between the maximum and minuimum incomes should not exceed 1 : 10 .

The special rights and privileges that has been granted to high officials like I. A. S. or I. P. S. Officers encourage corruption and therefore, they should be withdrawn.

A scheme for providing pure drinking water in Dhanbad Colliery area which has been perding for som time, shoul be completed at the earliest, so that drinking water could be supplied to workers working in that area.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : बजट में निहित विभिन्न प्रस्तावों को देखने पर लगता है कि सरकार के मन में संपन्न लोगों की समस्याओं के प्रति तो बड़ा दर्द है पर निम्न वर्ग के लिए नहीं है। वे धर्मार्थ ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाले लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बड़े चिन्तित है । वे करों की चोरी करने वाले काले धन वाले लोगों की समस्याओं को हल करने को बड़े इच्छुक है ।

जहां तक समान्य प्रोत्साहन का प्रश्न है सरकार ने नकारात्मक रूख अपनाया है और और कहा है कि यह 11 वीं अनुसूची में शामिल लोगों के अलावा सब पर लागू होता है और उस अनुसूची में उन्होने घड़ियों हाथ के औजारों और लघु उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं को रखा है । वांच आयोग ने यह सिफारिश की थी कि प्रोत्साहन क्षमता के आधार पर किया जाए । हमें प्रत्येक उद्योग की जाच कर के यह देखना चाहिए कि क्या उसके उत्पाद का कुछ समाजिक मूल्य है फिर प्रोत्साहन दिया जाए परन्तु अब यह प्रक्रिया छोड़ दी गई है ।

सरकार 11 वीं अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त कर रही है । इस अनुसूची में शामिल किए जाने पर उद्योग को रियायत नहीं मिलती उससे निकाले जाने पर रियायत मिलती है । निवेश में 25 प्रतिशत की कमी करने अथवा न करने के निर्णय करने का अधिकार क्या सरकार पर छोड़ दिया गया है यह एक वित्तीय मामला है यह इस संसद् का ही अधिकार है । यह अधिकार यदि सरकार को दिया जाता है तो यह संसद् के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा ।

सम्बद्ध कम्पनियों के संबंध में आयकर अधिनियम में यह उपबन्ध है कि आय का लाभाश के रुप में वितरित किया जाए । परन्तु अब वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हें वितरित करने की आवश्यकता नहीं है । क्या वित्त मंत्री ने यह अनुमान लगाया है कि इससे सरकार को कितनी हानि होगी ? यह बहुत गलत कदम है और वित्त मंत्री इस पर विचार करें ।

पूंजीगत लाभ के संबंध में वांचू आयोग की राय थी कि ऐसे लाभ अन्य आय के समान न माने जाएं । इसलिए उनका कहना है कि पूजीगत लाभ के साथ तभी रियायत बरती जाए जब पूजीगत आपत्तियां पांच वर्ष से अधिक समय की हों । इसी के अनुसार 1976 में एक उपबन्ध जोड़ा गया कि यह रियायत देनें के लिए आस्तियां पांच वर्ष पुरानी होनी चाहिए । अब इसे बदल कर 36 मास किया जा रहा है । यह पूजीगत लाभ कर को समाप्त करना है जो धन के संचय को रोकने के लिए लागू किया गया था ।

एक अन्य उपबन्ध जो बड़े लोगों को मदद देने के लिए किया जा रहा है वह ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है । यदि कोई नहर या सड़क बनाता है तो उसे व्यय माना जाएगा इस प्रकार वह सरकार के खर्च पर स्वयं को समाज का निर्माता सिद्ध कर सकेगा ।

विलय के संबंध में यह प्रस्ताव था कि कूल मूल्य ह्रास 50 प्रतिशत से अधिक होता है और यदि उस मिल को चलाया जा सकता है तो इसे विलय किए जाने वाले एकक में विलय किया जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि यह विलय किसके लिए। यह राष्ट्रीय धन को बचाने के लिए हो सकता है? परन्तु कर्मचारियों की सुरक्षा का क्या होगा? क्या यह भी विलय का एक कारण है? क्या उनके लिए भी कोई उपलब्ध है? नहीं ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। कर्मचारी को सर्वथा भुला दिया गया है।

धर्मार्थ ट्रस्ट काला धन बनाने का एक साधन है। वांचू समिति ने पूरे मामले की जांच करके यह सिफारिश की है कि मूल राशि को छोड़ ट्रस्ट्रों पर किसी व्यापारिक फर्म में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी समेत निवेश करने पर पूरी रोक लगा दी जाए। यह सिफारिश 1976 के वित्त विधेयक में जोड़ी गई थी। अब वित्त मंत्री के विचार से यह अनावश्यक है तथा उन्हें कहीं भी निवेश करने की छूट दे दी गई है।

मैं गत लोक सभा में आगे की बैंचों पर बैठने वाले सदस्यों को जो अब इसकी बैंचों पर बैठे हैं वित्त विधेयक को इन सिफारिशों को शामिल न करने की भूल के लिए सरकार के विरोध में विपक्ष द्वारा मचाए गये शोर की याद दिलाता हूं। उसी शोर के बावजूद कराधान संशोधन विधेयक लाया गया था और बांचू आयोग की ये सिफारिशें शामिल की गई थी परन्तु अब उन्हें समाप्त करके फिर से पुरानी स्थिति बनाई जा रही है।

बीड़ी पर उत्पादन शुल्क लगाते समय सरकार यह भूलती है कि इनका उपयोग अधिकतर आम लोग ही करते हैं। सरकार इन लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह सम्बद्ध कम्पनियों धर्मार्थ ट्रस्टों कर अपवंचकों आदि के साथ कर रही है। श्री पालकी वाला ने कहा है कि स्थिति अब 1972–74 की अपेक्षा भिन्न है तब मुद्रास्फिति अभाव के कारण थी लेकिन अब हमारे पास विभिन्न आवश्यक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं हमारे पास 1 करोड़ 30 लाख टन कोयले का भंडार है और 225 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्मित इस्पात भी बिक्री हेतु पड़ा है 2 करोड़ 30 लाख टन खाद्यान्न भी भंडार में हैं। मोटा कपड़ा भी प्रचुर मात्रा में है अत: ऐसी स्थिति में यदि व्यापार और उद्योग जिसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी शामिल है सरकार से पूर्ण सहयोग करे तो मुद्रास्फिति को समाप्त किया जा सकता है हम तो चाहते है लेकिन श्री पालकीवाला की यह भविष्यवाणी सच हो जाए और कर्मचारी वर्ग भी यही चाहता है। लेकिन यदि यह सत्य न हुई तो मुद्रास्फीति हमें दबोच लेगी और सरकार इसके लिए दोषी चोर बाजारियों और मूल्य बढ़ाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। यदि आप यह सोचते हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण के स्पर्श मात्र से तस्कर पवित्र आत्मा बन जाएंगे और चोर बाजारी देश से खत्म हो जाएगी तो भगवान ही इस देश की रक्षा करे। आपको इन लोगों के साथ सख्ती करनी होगी। हम इस कार्य में सरकार को पूरा सहयोग देगें। ऐसा करने में हमारा कोई स्वार्थ निहित नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी लेकिन हमें देश के समक्ष जो समस्याएं है उन से निपटना है।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं के प्रति उत्सुकता से ध्यान दें क्योंकि जनसाधारण ने ही उन्हें सत्ता सौंपी है और वे ही सत्ता वापिस भी ले सकते हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या मालूम श्री जयप्रकाश नारायण के स्पर्श मात्र से चोर बाजारिए अपना धन्धा छोड़गे अथवा नहीं लेकिन मेरे माननीय मित्र श्री स्टीफन यह भूल गए है कि लोक नायक के स्पर्श से चोर बाजारियों के संरक्षक अपने 30 वर्षों के शासन को छोड़ कर चल गए हैं।

[**कुमारी आभा मैती** पीठासीन हुई]
[**Kumari Abha Maiti** *in the chair*]

[श्री समर गुह]

वित्त मंत्री ने ग्राम व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली बीड़ी को भी उत्पादन शुल्क से मुक्त नहीं रखा है। यह बहुत खेदजनक बात है। जनसाधारण ने ही देश से तानाशाही समाप्त करके लोक तंत्र की स्थापना की है। जनता पार्टी ने बीड़ी को भी विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत रख दिया है। बीड़ी पर उत्पादन शुल्क लगाने से सरकार को केवल 45 करोड़ रुपया मिलेगा। इस राशि से कहीं अधिक रुपया तो सरकारी उपक्रमों में हो रही अपव्ययता को रोक कर तथा वित्तीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार तथा अन्य बुराइयों को समाप्त कर के बचाया जा सकता है। मंत्री महोदय को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह देखें कि सूती हौजरी के माल पर कर बढ़ाने से ये उद्योग विशेषकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में समाप्त तो नहीं हो जाएंगे ?

एक्सपोजड फिल्मों पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क को समाप्त किया जाए क्योंकि प्रादेशिक फिल्मों पर इसका अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

जनता पार्टी के शासन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं खाद्य वस्तुओं के मूल्य घटने के बजाए बढ़ रहे हैं। आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ने का कारण बताने का बार-बार अनुरोध किया गया है परन्तु बड़े आश्यचर्य की बात है कि वित्त मंत्री ने कोई वक्तव्य नही दिया है। मुंह छिपाने वाली निति अपनाने से काम नही चलेगा सरकार को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए कि इस दिशा में वह क्या कार्यवाही कर रही है।

मैंने बाजार में जाकर स्वयं खाद्य वस्तुओं के मूल्यों का सर्वेक्षण किया है। अप्रैल माह से लेकर अब तक मूल्यों में समुचित वृद्धि हुई है। कुछ मुख्य आंकड़े ये हैं :--

वस्तुएं	मूल्य प्रति किलो अप्रैल, 1977 में	मूल्य प्रति किलो 13-7-1977 को
गेहूं	1 रुपया 30 पैसे	1 रुपया 50 पैसे
चावल (बासमती)	3 रुपया 70 पैसे	4 रुपए
उड़द दाल	3 रुपया 80 पैसे	4 रुपये 40 पैसे
मसूर दाल	3 रुपया 20 पैसे	3 रुपये 60 पैसे
तेल	11 रुपया	15 रुपये 50 पैसे
जीरा	20 रुपया	24 रुपया
चाय	18 रुपये 50 पैसे	21 रुपये
डालडा	11 रुपया	12 रुपए 40 पैसे

आप लोगों को कुछ कार्यवाही करनी होगी जिससे लोग यह महसूस करें कि जनता सरकार बहुत गंभीर है और वह इस मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करेगी।

आपातस्थिति के 20 महीनों में लोगों पर जो ज्यादतियां हुई उनकी जांच के लिए तीन जांच आयोग नियुक्त किए गए हैं। हम लोकतंत्र की स्थायी सुरक्षा चाहते हैं। इसके लिए हमें कुछ ठोस उपाय करने होंगे। जनता सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया था कि सत्ता

में आने पर वे संविधान के 42 वें संशोधन को रद्द कर देंगे। जनता पार्टी इसके लिए विधेयक लाए। हमने जनता को कुछ वचन दिए थे उन्हें हमें पूरा करना है। कुछ संवैधानिक संशोधन विधेयकों को इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमें लोगों में सुरक्षा की भावना का संचार करना है। हमें लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्थायी उपाय करने चाहिएं। मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित संशोधनों द्वारा कुछ बातें सुनिश्चित की जाएं।

संविधान में तत्काल संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की जाए कि आपातस्थिति के दौरान किसी भी सरकार को नागरिकों के मूलाधिकारों के हनन का अवसर न मिले। 42वें संवैधानिक संशोधन तथा आपातस्थिति के दौरान पास किए गए संवैधानिक संशोधनों को रद्द किया जाए। न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक उपबंध किया जाए। प्रैस की स्वतंत्रता बनाए रखने, विदेशी आक्रमण के समय को छोड़कर, के लिए संवैधानिक उपाय किए जायें। अनधिकृत व्यक्तियों को प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने दिया जाए। लोकपाल की नियुक्ति की जाए इत्यादि।

जनता सरकार ने वचन दिया है कि वह एक नई अर्थ व्यवस्था का निर्माण करेंगे। हमारी 80 प्रतिशत जनता निर्धन है। हमें उनके कल्याण के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के कथन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यदि आप वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वित्तीय संस्थानों में विद्यमान भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, गोल माल आदि से निपटना होगा। वहां प्रशासन बड़ा खर्चीला है तथा आपातस्थिति के दौरान सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए युनाइटेड कर्मशियल बैंक को ले लीजिए वहां आपात स्थिति के दौरान कई उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों रुपए के ऋण दिए गए तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों की भर्ती की गई। आपात स्थिति से पहले वहां दो उपमहा प्रबंधक थे और आपात स्थिति में उनकी संख्या बढ़ा कर 15 कर दी गई। चार सहायक महाप्रबंधक थे उनकी संख्या बढ़ाकर 13 कर दी गई। इसी प्रकार आपातस्थिति के दौरान 16 और निरीक्षक बनाए गए। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के परिणामस्वरूप बैंक का मासिक व्यय 50,000 रुपए से बढ़कर 2.11 लाख रुपए हो गया। अर्हताओं का भी ध्यान नहीं रखा गया। अत: यदि आप एक नई नीति अपनाना चाहते हैं तो आपको इन वित्तीय संगठनों का पुनर्गठन करना होगा।

राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंक ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय उनका शोषण कर रहे हैं। इन्होंने लोगों से रुपया इकट्ठा कर उसे शहरी क्षेत्र के विकास में लगाया है और उसका उपयोग औद्योगिक व्यापारिक एकाधिकार तथा पूंजीपतियों के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखता हूं 1974 में कुल जमा राशि 81,613 लाख रुपया थी और इसमें से केवल 42,669 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण के रूप में दिया गया। 1975 में कुल जमाराशि 101,298 लाख रुपए थी और इसमें से 53,592 लाख रुपए के ऋण ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए जोकि कुल जमा राशि का आधा है अतः वित्त मंत्री यह आश्वासन दें कि गांव में इकट्ठा किया गया पैसा लघु उद्योगों, कृषि उद्योगों और कृषि के विकास के लिए ऋण देने पर खर्च किया जाएगा। जिला स्तर और सब डिवीजनल स्तर पर इकट्ठा हुए धन का एक बड़ा भाग ग्रामीण लोगों के उपयोग के लिए दिया जाए।

[श्री समर गुह]

बजट में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों और कृषि उद्योगों और कृषि के विकास के लिए अलग से कुछ धनराशि रखी गई है । यह सभी आवंटन आंशिक रूप में किए गए हैं एक मुश्त नहीं । इसके लिए मैं मंत्री महोदय को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि हमारी आर्थिक आयोजना ही कुछ इस ढंग की है । हमें अपनी आयोजना को फिर से बनाना होगा और उसकी नीतियों को नया रूप देना होगा । कुछ आर्थिक विषेषज्ञों के लिए योजना का नया रूप देना संभव नहीं है । मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर राष्ट्रीय चर्चा कराई जाए ताकि लोगों के विचार हमें पता चल सकें और नई धारणा का विकास हो ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि लोगों ने लोक सभा के चुनावों में जनता पार्टी को जो भारी बहुमत दिया है वह केवल अधिनायकवाद के विरोध में ही नहीं अपितु आर्थिक नीतियों को नया रूप देने की लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए भी है ताकि देश से निर्धनता दूर की जा सके ।

लोगों को जनता सरकार के पहले बजट से बहुत उम्मीदें थी । वे आशा करते थे कि आर्थिक नीतियों को बदला जाएगा और देश के जनसाधारण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय किए जायेंगे दुर्भाग्यवश उनकी आशाएं पूरी-नहीं हुई हैं । यह बजट पुराने बजटों से भिन्न नहीं है । यह बहुत दुख की बात है कि अधिक पूंजी निवेश की सुविधा; अधिक छूट और पूंजी लाभ तथा नई छूटें सभी धनवान लोगों और निगमित क्षेत्र के लिए लाभदायक हैं । अप्रत्यक्ष करों का भी जनसाधारण पर प्रभाव पड़ा है और बीड़ी तथा हौजरी को भी अप्रत्यक्ष करों से अछूता नहीं रखा गया है ।

देश के समक्ष एक मुख्य समस्या असमान विकास तथा केन्द्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण की है । गत पन्द्रह वर्षों के दौरान जब कि देश के कुछ राज्यों में अत्यधिक विकास हुआ है एक तिहाई जिलों में विकास बिल्कुल न के बराबर हुआ है । इस से हमारी संघीय नीति के कार्यकर्म-पर बुरा असर पड़ता है । आर्थिक सत्ता का भी विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए । राष्ट्र निर्माण और देश के आर्थिक विकास में राज्यों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

9960 करोड़ रुपए से कुल योजना परिव्यय में से 5021 करोड़ रुपए अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक भाग राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा व्यय किया जाएगा । जहां एक ओर राज्य योजनाओं में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई है वहां दूसरी ओर राज्यों की योजनाओं हेतु दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में केवल 28 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों को संसाधन स्वयं जुटाने होंगे । कांग्रेस ने अपने कुप्रशासन और अपव्यय से राज्यों की स्थिति बहुत खराब की है । भूतपूर्व सरकार को जब यह पता चल गया कि उसके शासन के दिन कुछ गिनु-चुने ही रह गए हैं तो उन्होंने जी खोलकर बरबादी की । पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर राय की सरकार ने उनके शासन के पिछले कुछ दिनों में 50 करोड़ रूपया फिजूल खर्च किया । अत : अब समस्या संसाधनों को जुटाने की है । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह स्वयं इस मामले को देखें ।

योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी राज्यों की है, लेकिन संसाधन कहां हैं ? अत: मैं महसूस करता हूं कि इस मामले में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये जाने चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर उचित निर्णय लिए जाने चाहिए । इसीलिए पश्चिम बंगाल के नए वित्त मंत्री ने

केन्द्र की ओर से राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सत्ता के विस्तारण के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने के लिए कहा है ताकि योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्यों का भी उचित भाग हो।

इसी तरह मूल्य वृद्धि की समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च और जून, 1977 के बीच थोक मूल्य सूचकांक में 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बजट या वित्तीय प्रस्तावों में इस समस्या को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है यह सरकार भी भूतपूर्व सरकार की भांति तदर्थ और आंशिक उपायों पर विचार कर रही है। मुद्रास्फिति विरोधी कोई नीति नहीं है। कमियों को आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है। हम आयात द्वारा मुद्रास्फिति की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं।

सरकार को चुनावों के दौरान किए गए वायदों को निभाना चाहिए तथा उसी के अनुरूप कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की राशि उन्हें लौटा दी जानी चाहिए। बोनस के सम्बन्ध में भी एक आश्वासन दिया गया था। लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करना चाहिए।

इस घाटे के बजट का स्वागत किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि बीड़ी तथा हौजरी सामान को कर से छूट दी जानी चाहिए तथा अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि कर्मचारियों को लौटा दी जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छोटे उद्योगों की स्थापना के नाम पर बड़ी बड़ी कम्पनियां लाभ न उठायें। अतः हमें उन लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो लघु उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। बिना उचित भूमि सुधार के ग्रामीण कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए। बेरोजगारी की समस्या को अधिक गम्भीरता से हल किया जाना चाहिए। बेरोजगारों को किसी किस्म का भत्ता दिया जाना चाहिए।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए, थोड़ा बहुत संशोधन किया है, यह बात प्रसन्नता की है लेकिन समूचा बजट एकाधिकारियों, बड़े-व्यापार-गृहों और बड़े व्यापारियों के पक्ष में है। यह एक अविरोधी बात है।

अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजरने के बावजूद देश में निरन्तर प्रगति होती रही है। हमें गर्व है कि हमारा देश सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है। देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास हुआ है। विकास की आधार शिला रखी गई है। लेकिन फिर भी जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने हमारी अर्थ-व्यवस्था का बुरा चित्र खींचने का प्रयास किया है और अपनी उपलब्धियों की निन्दा की है।

इस सरकार ने पिछले कुछ महीनों के दौरान जो कार्य किया है, यह उत्साहजनक नहीं है ? कर्मचारियों, गरीब लोगों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों, जिन्होंने इन्हें वोट देकर सत्ता का हकदार बनाया है, को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्हें नई सरकार से बहुत आशायें हैं। बजट ने इन वर्गों को कोई राहत प्रदान नहीं की है।

अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है और सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। हमारे मन में यह धारणा पनप रही है कि जनता पार्टी तथा चोरबाजारियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों में कुछ सांठ-गांठ है।

[श्री तरूण गोगोई]

राज्यों के पास संसाधन बहुत सीमित हैं । यद्यपि राज्यों द्वारा निर्यात किये गये माल से काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है तो भी उन्हें छोटी-छोटी बातों के लिए केन्द्र की शरण में जाना पड़ता है । नई सरकार को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों को भी आर्थिक क्षेत्र में कुछ अधिकार प्राप्त हों ।

बात यह नहीं है कि भूतपूर्व सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों की उपेक्षा की । 1961 में केवल 35000 लघु उद्योग थे और अब इनकी संख्या 4 लाख से अधिक है । 1972 में, बैंककारी सुविधायें 695 करोड़ रुपए की थी और 1976 में यह बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गई है । यह वद्धि 92 प्रतिशत है । राज्य वित्त निगमों द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि में समुचित वृद्धि हुई है । 1972–73 में 54.14 करोड़ रुपए की सहायता दी गई जबकि 1975–76 में 91.99 करोड़ रुपए की सहायता की गई । यह वृद्धि 90 प्रतिशत है । इसके बावजूद भी जिन लोगों के लिए यह सहायता दी गई उन्हें इससे कुछ लाभ नहीं हुआ है । जब तक क्रियान्वयन तंत्र का रवैया नहीं बदला जाता तब तक हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं होंगे ।

कराधान समीक्षा समिति की नियुक्ति की गई है । जो एन० ए० पालकीवाला इसके अध्यक्ष हैं । उनके विचारों और वायदों से सब अगवत हैं । उन जैसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जा सकती है ।

हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । स्वतंत्रता के बाद भी इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । इस सरकार से भी हमें कुछ नहीं मिला है ।

आसाम में हर वर्ष बाढ़ आती है । हजारों एकड़ धान के खेत बह जाते हैं । इसके बावजूद ब्रह्मपुत्र पर नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । हम शुरु से मांग करते आ रहे हैं कि केन्द्र को ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए लेकिन सरकार ने इसे अपने अधिकार में लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ।

आसाम तथा गुजरात राज्यों में ही अशोधित तेल का उत्पादन होता है । तेल सारे देश के लिए अमूल्य वस्तु है । हमारी शिकायत यह है कि इस कच्चे माल का उचित उपयोग नहीं किया जाता । लाखों घन फुट प्राकृतिक गैस जल कर व्यर्थ जा रही है । इस का उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

रसायन उद्योगों तथा शोधन शालाओं के सम्बन्ध में केन्द्र से हमें अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है । हमारा राज्य अशोधित तेल का सबसे बड़ा भंडार है । उसकी शोधनशालाओं की क्षमता केवल 75 लाख टन है । पिछले वर्ष आश्वासन दिया गया था कि बोंगईगांव की शोधन-शाला का विस्तार किया जायेगा लेकिन इस सरकार का विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : अनेक सदस्यों ने कहा है कि यह एक पूंजीवादी बजट हैं और कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह जनता पार्टी की नीति और गांधीवादी सिद्धान्तों के अनुरुप नहीं है । वित्त विधेयक के उद्देश्य की व्याख्या दोनों ही प्रकार से की जा सकती है । यदि कोई अन्य दल भी सत्ता में आता तो वह इससे अच्छा बजट पेश नहीं कर सकता था ।

जहां तक मुद्रास्फिति का सम्बन्ध है, इसे केवल सरकार ने ही पैदा नहीं किया है । मुद्रास्फिति समाज में परिचालित धन के दुरुपयोग से पैदा हुई है । सरकार की ओर से जितना भी धन परिचालित होता है उसके 50 प्रतिशत भाग का गलत ढंग से व्यय किया जाता है । जब हम एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए 100 प्रतिशत धन व्यय करते हैं तो हमें केवल 50 प्रतिशत की प्राप्ति होती है । मंडी का यह सामान्य नियम है कि जब उत्पादन और परिचालित धन बराबर हो तो मूल्य नियंत्रित होता है लेकिन जब उत्पादन कम हो और परिचालन में मुद्रा उसकी तुलना में अगल दुगनी, तिगुनी और चौगुनी हो तो मूल्यों में वृद्धि होती है और इसके परिणास्वरुप उपभोक्ताओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ।

मूल्यों पर नियंत्रण पाने के लिए सब से पहले धन के दुरुपयोग को रोकना चाहिए । सरकार को सख्ती से भ्रष्टाचार रोकना चाहिए और यदि वह अपने इस कार्य में सफल होती है तो मूल्यों में धीरे-धीरे कमी होगी यह काम एक या दो महीनों में नहीं होने वाला है। इससे एक दो अथवा तीन वर्ष भी लग सकते हैं ।

गरीबी किसी भी समाज से दूर नहीं हो सकती । न ही साम्यवादी समाज, समाजवादी समाज, व्यक्तिवादी समाज, गांधीवादी समाज अथवा हमारा जनता समाज निर्धनता के अभिशाप को दूर कर सकता है । विश्व में कोई इसे दूर नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : माननीय सस्दय अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 18 जुलाई, 1977/27 आषाढ़, 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० पु० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha Then adjourned till Eleven of the Clock on Monday July 18, 1977 Asadha 27, 1899 (Saka).